उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या-38/2024/आई/567479/2024-23-8001(099)/13/2023

लखनऊ: दिनांक 23 मई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका ए संख्या- 246/2024 हंसा राम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 एवं अवमानना याचिका संख्या-1031/2024 हंसाराम बनाम श्री अजय चौहान, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 के अनुपालन में तात्कालिक प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप संख्या-आई/446008/2023-23-8001(099)/13/2023 दिनांक 12.12.2023 को निरस्त करते हुए श्री हंसाराम को यथावत् निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर खीरी में तैनात किया जाता है। साथ ही मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से श्री कौशल कुमार झा, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर खीरी से स्थानान्तरित करते हुए सेतु परिकल्पना खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (मुख्यालय) में तैनात किया जाता है।

2- संबंधित अधिशासी अभियन्तागण (सिविल) को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर आख्या शासन तथा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

विनोद कुमार
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय को उनके आदेश दिनांक 17.05.2024 के क्रम में अवगत कराने का कष्ट करें।

5- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए उन्हें स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कराकर नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- संबंधित जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी।

8- संबंधित अभियन्तागण द्वारा स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 लखनऊ।

9- लोक निर्माण अनुभाग-6 / 13

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विनोद कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in